इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

Committed to professional excellence

IIBF VISION

खंड संख्या 15 | अंक संख्या 01 | अगस्त, 2022 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन :

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ 3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.................... 4
विनियामक के कथन 5
आर्थिक संवेष्टन 6
विदेशी मुद्रा 6
शब्दावली..................................... 7
वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी 7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 7
संस्थान समाचार 8
नयी पहलकदमी 9
बाजार की खबरें 9

“इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।”

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें

3 अगस्त से 5 अगस्त, 2022 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- पुनर्खरीद (repo) दर और बैंक दर बढ़ाकर क्रमश: 5.4% औए 5.65% की गई।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर क्रमश: 5.15% और 5.65% पर समायोजित की गई।
- वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि और खुदरा मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान क्रमश: 7.2% और 6.7% पर कायम रखा गया।
- 2023-24 की दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही तथा पहेली तिमाही की मुद्रास्फीति का अनुमान क्रमश: 7.1%, 6.4%, 5.8% और 5% है।
- बाह्यश्रोतीकरण/आउटसोर्सिंग जोखिम कम करने हेतु नियम लागू किए जाएंगे।
- विदेशी मुद्रा में निपटाए जाने वाले ओआईएस (OIS) बाजार में लेनदेन करने हेतु एकल आधार वाले (standalone) प्राथमिक व्यापारियों के प्रसार-क्षेत्र (scope) में विस्तार।
- साख सूचना कंपनियों (CICs) का आरबी-ओआईएस (RB-OIS) 2021 में समावेश।
- अनिवासी भारतीयों (NRIs) को देश में स्थित उनके परिवारों की ओर से शिक्षा एवं उपयोगिता बिलों के भुगतान हेतु भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के उपयोग की अनुमति दिया जाना।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान भारतीय रुपए में किए जाने की अनुमति दी; निर्यातक रुपयों में भुगतान प्राप्त कर सकते हैं

वैश्विक व्यापारी समुदाय द्वारा भारतीय रुपए में अधिकाधिक रुचि प्रदर्शित किए जाने के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्यात एवं आयात लेनदेनों को भारतीय रुपयों में किए जाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने के निदेश दिये हैं। तथापि, इसप्रकार की व्यवस्थाएं करने हेतु बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। माल एवं सेवाओं का विदेशी पोतलदान करने वाले निर्यातकों को निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियों का भुगतान भारतीय रुपयों में प्राप्त होगा। इससे उन्हें विदेशी आयातकों से निर्यातों के समक्ष भारतीय रुपयों में अग्रिम भुगतान पाने में भी सहायता प्राप्त होगी। ये भुगतान अभिहित वास्त्रो खातों में रखी गई शेषराशियों से किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि रुपयों में अधिशेष शेषराशि का उपयोग पारस्परिक करार के अनुसार (परियोजनाओं और निवेश के लिए भुगतान; निर्यात/आयात अग्रिम प्रवाह के प्रबंधन तथा सरकारी बाँड़ों में निवेश जैसे) अनुमत पूंजीगत एवं चालू खाते के लेनदेनों के लिए किया जा सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक इन्डोनेशिया ने सम्बन्धों को गहन बनाने के लिए करार किए

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल देबब्रत पात्रा और बैंक इन्डोनेशिया के उप गवर्नर श्री डोडी बुड़ी वालुयो ने दोनों देशों के केंद्रीय बैंको के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान करने तथा भुगतान प्रणालियों, डिजिटल वित्तीय नवोन्मेषों, धन-शोधन निवारण एवं आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया। उक्त समझौता ज्ञापन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास और बैंक इन्डोनेशिया के गवर्नर श्री पेरी वार्जियो की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि यह समझौता ज्ञापन पारस्परिक समझ बढ़ाने, कुशल भुगतान प्रणालियाँ विकसित करने तथा सीमा-पार वाली भुगतान संयोजकता

का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई पहलकदमियों को आर्थिक एवं वित्तीय घटनाओं और मुद्दों के संबंध में नियमित संवाद, प्रशिक्षण एवं संयुक्त संगोष्ठियों/सेमिनारों तथा कार्यों के माध्यम से तकनीकी सहयोग और सीमा-पार वाले खुदरा भुगतानों की सहलग्नताएं स्थापित करने के प्रयासों के जरिये पूरा किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए दस्तावेज़ जारी किए; मौसम में अत्यधिक परिवर्तन से निपटने हेतु उपाय सुझाए

वित्तीय क्षोभ मंडल (troposphere) में जलवायु संबंधी परिवर्तनों से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए बड़े/भारी जोखिम यथा- संपार्श्विक (collateral) के रूप में रखी गई आस्तियों के अवमूल्यन, उधारकर्ताओं के दिवालियेपन, चलनिधि की अचानक मांग, बाजार की प्राथमिकताओं में परिवर्तन तथा वित्तीय संस्थाओं के परिचालन में रुकावट पैदा हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इनपरिवर्तनों से निपटने के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की सहायता करने हेतु एक परामर्शी दस्तावेज़ जारी किया है। उक्त दस्तावेज़ में शामिल कुछेक सुझाव हैं - ग्राहकों से लेनदेन /व्यवहार करते समय जोखिमों में अंतर्निहित कीमत (price-in risks) की पहचान करना तथा अपनी परिचालनात्मक निरंतरता को बनाए रखने के लिए बोर्ड के स्तर पर नीतियाँ निर्धारित किया जाना और उन्हें कार्यान्वित किया जाना। इसप्रकार के जोखिमों के प्रति उनके एक्सपोजर के बारे में हितधारकों एवं विनियामकों को विहित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। उधारकर्ताओं (विशेषत: उन्हें जो जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हों) को ऋण जारी किए जाने से पहले बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को समुचित जोखिम प्रबंधन नीतियों का दृढ़तपूर्वक समावेश कर लेना चाहिए। इनमें से कुछेक में ऋण चुकौती अवधि को सीमित रखे जाने, संपार्श्विक के स्थावर संपदा के रूप में होने पर ऋण सीमाओं को समायोजित किए जाने, उत्पादन और आपूर्ति शृंखला पर प्रभाव के कारण पैदा होने वाली हानियों से बचने के लिए बीमे का प्रावधान किए जाने और अत्यधिक कार्बन पदचिन्ह वाले क्षेत्रों से ऊर्जा संक्रमण योजना की मांग किए जाने का समावेश है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

बैंकनोट अधिप्रमाणन एवं छटाई के लिए मौजूदा दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित

नयी शृंखला वाले बैंक नोट आरंभ किए जाने की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक नोटों के अधिप्रमाणन एवं छटाई के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंकों से अपनी बैंक नोट छटाई मशीनों की तिमाही आधार पर जांच करने के लिए कहा गया है। बैंकों द्वारा कटे-फटे और नकली भारतीय मुद्रा नोटों सहित गंदे नोटों के कम से कम 2,000 नगों की जांच गड्डी तैयार की जानी होगी। उक्त नोट पुरानी शृंखला वाले 100 रुपए के नोटों, नयी शृंखला वाले 100 रुपए के नोटों, 200 रुपए के नोटों, 500 रुपए के नोटों तथा 2,000 रुपए के नोटों जैसे भिन्न-भिन्न मूल्यवर्गों वाले होंगे। मशीन की जांच इन सभी नोटों का उपयोग करते हुये की जाएगी। छटाई के दौरान पाई जाने वाली विसंगति की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं को मशीन का पुन: अंशशोधन करना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी प्रवाहों को आकर्षित करने, स्थानीय मुद्रा को संरक्षित करने हेतु उपाय जारी किए

नि:शेष होती विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा को संरक्षित रखते हुये तथा समग्र स्थूल-आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करते हुये विदेशी प्रवाहों को आकर्षित करने हेतु कतिपय उपाय जारी किए हैं। 30 जुलाई को आरंभ हुये रिपोर्टिंग पखवाड़े से बैंकों को वृद्धिशील अनिवासी विदेशी (NRE) और विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक) (FCNR (B)) जमाराशियों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) बनाए रखने से छूट दे दी गई है। उक्त छूट 4 नवंबर, 2022 तक जुटाई गई जमाराशियों के लिए उपलब्ध होगी और इससे अधिक डालर आकर्षित किए जाने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को 31 अक्तूबर, 2022 तक 7 जुलाई से लागू होने वाली ब्याज दरों से संबन्धित विनियमों पर ध्यान दिये बिना नयी विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) और अनिवासी विदेशी जमाराशियां जुटाने की अनुमति प्रदान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 वर्षीय और 14 वर्षीय परिपक्वता वाले नए बाँड़ों के प्रवर्तन को पूर्णत: अभिगम्य मार्ग का पात्र बना कर सरकारी बाँड़ों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) से संबन्धित मानदंडों को शिथिल कर दिया है। सरकारी एवं कारपोरेट ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो

निवेश के लिए अवशिष्ट परिपक्वता से संबन्धित मानदंडों को शिथिल कर दिया गया है। स्वचालित मार्ग के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) की सीमा 750 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है। बाह्य वाणिज्यिक उधार ढांचे के तहत समग्र अंतर्निहित लागत (all-in-cost) की उच्चतम सीमा उधारकर्ता के निवेश श्रेणी वाली रेटिंग में होने की शर्त पर 100 आधार अंक बढ़ा दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अपनी ऋण नीतियों की समीक्षा करें

अग्रिमों के प्रबंधन के संबंध में अपने मास्टर निर्देशों (8 अप्रैल) के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनकी ऋण नीतियों की उनके बोर्डों द्वारा किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाए। इससे इस बात का पता लगाने में सहायता प्राप्त होगी कि ऋण नीति अनुमोदित जोखिम-वहन-क्षमता का प्रतिबिम्बन करती है तथा वह वर्तमान विनियमनों के अनुरूप है। शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे ऋण वितरण के लिए ऋण एक्सपोजर मानदंडों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने बोर्ड के अनुमोदन से पारदर्शी नीतियाँ एवं दिशानिर्देश निर्धारित करें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड-आन-फाइल में संक्रमण, भुगतान समाकलक लाइसेंसीकरण के बारे में दिशानिर्देश जारी किए

कार्ड-आन-फाइल (COF) टोकनीकरण तथा भुगतान समाकलकों (payment aggregators) के लाइसेंसीकरण से संबन्धित नए मानदंडों की दिशा में संक्रमण को आसान बनाने के एक प्रयास में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया है। जैसा कि पहले निर्धारित किया गया है 1 अक्तूबर, 2022 से (कार्ड जारीकर्ताओं और कार्ड नेटवर्कों को छोडकर) कार्ड लेनदेन शृंखला में शामिल कोई भी संस्था/कंपनी कार्ड-आन-फाइल आंकड़ों/डेटा को भंडारित नहीं करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में दो अन्तरिम उपाय सूचित किए हैं। इसके पूर्व वर्णित संथाओं/कंपनियों को छोडकर निपटान/भुगतान में संलग्न व्यापारी या उसका भुगतान समाकलक लेनदेन की तिथि के बाद अथवा निपटान की तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो, की अधिकतम चार दिनों की अवधि के लिए कार्ड-आन-फाइल डेटा सेव कर सकता है। इस डेटा का उपयोग केवल ऐसे लेनदेनों के लिए किया जाएगा तथा उसके बाद उसे अनिवार्य रूप से हटा/फर्ज कर दिया जाना होगा। इसके अतिरिक्त, अधिग्राहक (acquiring) बैंक लेनदेन के पश्चात वाले कार्यकलापों के लिए उस डेटा को 31 जनवरी, 2023 तक भंडारित करना जारी रख सकते हैं। 17 मार्च, 2020 को मौजूद तथा 31 मार्च, 2022 के दिन 15 करोड़ रुपए की निवल मालियत रखने वाले सभी भुगतान समाकालकों को प्राधिकरण के लिए 30 सितंबर, 2022 तक आवेदन करने की अनुमति दी गई है। उन्हें तब भी 25 करोड़ रुपए की निवल मालियत प्राप्त करने हेतु 31 मार्च, 2023 तक की समय-सीमा का पालन करना होगा

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक के चार-स्तरीय ढांचे के जरिये शहरी सहकारी बैंक वित्तीय रूप से और सुदृढ़ होंगे

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए विभेदक विनियामक निर्धारणों के साथ एक चार-स्तरीय विनियामक ढांचा अपनाए जाने के परिणामस्वरूप मौजूदा शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय रूप से और अधिक सुदृढ़ होने की आशा है। एक ही जिले में परिचालनरत टियर 1 शहरी सहकारी बैंकों के लिए 2 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल मालियत निर्धारित की गई है। अन्य सभी स्तरों के समस्त सहकारी बैंकों के लिए यह रकम 5 करोड़ रुपए है। जहां अधिकांश शहरी सहकारी बैंक मार्च, 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक की इन अपेक्षाओं को पहले से ही पूरा करते आ रहे हैं, वहीं इन अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को एक पाँच वर्षीय ऐसा विसर्पण (glide) मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें संशोधित मानदंडों की दिशा में सुगम संक्रमण को संभव बनाने के लिए मध्यवर्ती सीमा-चिन्हों (milestones) की व्यवस्था होगी।

टियर 1 वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) आवश्यकता

बासेल 1 के आधार पर वर्तमान पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत 9% के वर्तमान निर्धारण पर कायम रखी गई है। जहां टियर 2, टियर 3 और टियर 4 वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए वर्तमान पूंजी पर्याप्तता ढांचा कायम रखा गया है, वहीं उनके पूंजी विन्यास/ढांचे को सुदृढ़ बनाने में सहायता करने के लिए जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में न्यूनतम पूंजी अनुपात संशोधित करके 12% कर दिया गया है।

संशोधित जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात आवश्यकता को पूरा न करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को उसे चरणबद्ध रीति से पूरा करने हेतु एक तीन वर्षीय विसर्पण मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, इन बैंकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष तक 10%, 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष तक 11% और 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष तक जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में 12% के पूंजी अनुपात का निर्धारण प्राप्त करना होगा।

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसियों को 'सुस्पष्ट खतरा' बताया

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने यह मत व्यक्त करते हुये कि प्रतीति/स्वांग (make believe) के आधार पर मूल्य प्राप्त करने वाली कोई भी चीज एक परिष्कृत नाम के तहत महज एक सट्टा (speculation) होती है, क्रिप्टोकरेंसियों को एक ''सुस्पष्ट खतरा'' बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून, 2022 में अपनी प्रस्तावना के तहत श्री दास ने कहा है कि "जहां प्रौद्योगिकी ने वित्तीय क्षेत्र के विस्तार-क्षेत्र को समर्थन प्रदान किया है, वहीं वित्तीय स्थिरता को विदीर्ण करने की उसकी संभाव्यता से बचाव करना होगा। वित्तीय प्रणाली के अधिकाधिक रूप से डिजिटलीकृत होने के फलस्वरूप साइबर जोखिम बढ़ते जा रहे हैं तथा उन पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।" उक्त रिपोर्ट में 2020 में भारतीय फिंटेक उद्योग का मूल्य 50-60 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया है। फिंटेक हबों के वैश्विक स्तर पर अपेक्षाकृत तीव्र गति से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक होने के फलस्वरूप 2025 तक उसका मूल्य 150 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच जाने का अनुमान है। भारत के पास सर्वोच्च वैश्विक फिंटेक अंगीकरण दर (87%) विद्यमान है तथा उसे 2020-21 के दौरान 278 सौदों में 8.53 बिलियन अमरीकी डालर का निधीयन प्राप्त हुआ है। शीर्ष बैंक द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी को वित्तीय समावेशन के एक कारगर साधन के रूप में स्वीकृत किए जाने के बावजूद वह नयी प्रौद्योगिकी के प्रति एक्सपोजर के बाद बैंकिंग प्रणाली के समक्ष अब उपस्थित होने वाले इसके पहले अनदेखे जोखिमों के बारे में सतर्कता भी बरतता है। महत्तर साझे समाघात (engagement) की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में व्यवसाय और राजस्व माडेल, अभिशासन, आचरण एवं जोखिम प्रबंधन का समावेश है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को राजकोषीय वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति के क्रमिक रूप से कम होने की आशा

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि वर्तमान राजकोषीय वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति की स्थिति में सुधार होगा। शीर्ष बैंक सुदृढ़ एवं वहनीय वृद्धि का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मुद्रास्फीति को रोकने हेतु मौद्रिक उपाय करने का क्रम जारी रखेगा। एक समारोह में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि "इस समय आपूर्ति की प्रत्याशा अनुकूल दिखाई देने तथा कतिपय उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों द्वारा 2022-23 कि 1ली तिमाही (अप्रैल-जून) में पुनरुत्थान की आघात-सहनीयता का संकेत दिये जाने के फलस्वरूप हमारा वर्तमान मूल्यांकन यह है कि 2022-23 की दूसरी छमाही में भारत में कठिन अवतरण (hard landing) के अवसर असंभव होंगे, जिससे मुद्रास्फीति में क्रमिक रूप से कमी आएगी।" चूंकि मूल्य-स्थिरता स्थूल-आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का मूलमंत्र होती है, भारतीय रिजर्व बैंक स्थूल-आर्थिक स्थिरता को परिरक्षित रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए उपाय करेगा। वैश्विक वृद्धि की संभावना के बारे में बात करते हुये श्री दास ने कहा कि "एक ओर चल रही मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की प्रक्रिया के कारण तेजी से कठोर होती वित्तीय स्थितियाँ तथा दूसरी ओर निरंतर जारी भौगोलिक-राजनीतिक तनाव निकटवर्ती अवधि में उल्लेखनीय हानि जोखिम (downside risks) उपस्थित कर देते हैं।"

रुपए की अस्थिरता के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक की सहनशीलता शून्य : शक्तिकान्त दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि जहां शीर्ष बैंक ने रुपए के लिए कोई विशिष्ट स्तर नहीं नियत कर रखा है, वहीं अस्थिर एवं विषम उतार-चढ़ावों के समक्ष उसकी सहनशीलता शून्य है। उन्होंने इस बात की अभिपुष्टि की कि रुपया उन्नत एवं बाजार के उभरते दोनों ही समकक्षों की तुलना में अच्छी स्थिति में है तथा विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ भी पर्याप्त हैं। भारतीय कंपनियों के बाह्य वाणिज्यिक्क उधार एक्सपोजरों का एक अत्यंत छोटा-सा हिस्सा अप्रतिरक्षित (unhedged) है, किन्तु स्थानीय कंपनियों में मूल्यह्रासित मुद्रा के प्रभाव के बारे में व्याप्त चिंता व्यापक रूप से अनावश्यक है। श्री दास ने कहा कि "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वाभाविक प्रतिरक्षणों एवं एक्सपोजरों को ध्यान में रखते हुये इष्टतम प्रतिरक्षण अनुपात की स्थिति भारत के विदेशी ऋण में बाह्य वाणिज्यिक उधारों के स्टाक के मामले में सहज रूप से संतोषजनक है।" भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार से संपर्क बनाए रखने का क्रम जारी रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि रुपए को उसके मूलभूत तत्वों के अनुरूप स्तर प्राप्त हो।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई मासिक आर्थिक रिपोर्ट जून, 2022 के अनुसार कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- जून, 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 7.01% हो गई।
- विनिर्माण पीएमआई 53.9 अंक के रूप में विस्तारवादी क्षेत्र में रहा तथा पीएमआई सेवा जून में और बढ़कर 59.2 अंक पर पहुँच गया।
- 2022-23 की पहली तिमाही में माल और सेवा कर (GST) वसूलियों में वर्षानुवर्ष 36.4% की वृद्धि दर्ज हुई।
- अप्रैल-मई, 2022 में पूंजीगत व्यय में वर्षानुवर्ष 70.1% की वृद्धि दर्ज हुई।
- उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को ऋणगत सहायता में सकारात्मक/धनात्मक वृद्धि परिलक्षित हुई।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाही की तुलना में वृद्धि परिलक्षित हुई।
- जून, 2022 में सरकारी प्रतिभूति (G-sec) बाँड़ों का प्रतिफल बढ़कर 7.49% हो गया।
- जून, 2022 में एएए श्रेणी निर्धारित कारपोरेट बाँड़ों का प्रतिफल बढ़कर 7.89% हो गया।
- जनवरी, 2022 से अब तक के छः महीनों में विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 34 बिलियन अमरीकी डालर की कमी आई।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	29 जुलाई, 2022 के दिन करोड रुपए	29 जुलाई, 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4549652	573875
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4053160	511257
1.2 सोना	314274	39642
1.3 विशेष आहरण अधिकार	142583	17985
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्त निधियाँ	39635	4991

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अगस्त, 2022 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	1.53
जीबीपी	1.1909
यूरो	-0.085
जापानी येन	-0.01
कनाडाई डालर	2.47
आस्ट्रेलियाई डालर	1.35
स्विस फ्रैंक	-0.206142

मुद्रा	दरें
न्यूजीलैंड डालर	2.50
स्वीडिश क्रोन	0.643
सिंगापुर डालर	1.6908
हांगकांग डालर	0.84687
म्यामार रुपया	2.25
डैनिश क्रोन	-0.152

स्रोत www.fbil.org.in

शब्दावली

विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) खाता

विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) अनिवासी भारतीयों के लिए भारत में मीयादी जमा खाता रखने के लिए एक बैंक खाता होता है। यह खाता एक अनिवासी भारतीय के रूप में आपको जिस देश में आपने मूल रूप से धन अर्जित किया है उस देश की मुद्रा के रूप में अपनी धनराशि बचाने में समर्थ बनाता है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

परिपक्वता पर प्रतिफल (YTM)

परिपक्वता पर प्रतिफल (YTM) बांड को उसके परिपक्व होने तक रखे जाने पर किसी बांड पर अपेक्षित कुल प्रतिलाभ होता है। परिपक्वता पर प्रतिफल को एक दीर्घकालिक बांड प्रतिफल माना जाता है, किन्तु उसे एक वार्षिक दर के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
अपने ग्राहक को जानिए, धन शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	10 से 11 अगस्त, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
व्यापक ऋण प्रबंधन	17 से 20 अगस्त, 202	
विधि अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	17 से 20 अगस्त, 2022	

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	18 से 20 अगस्त, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त	22 से 24 अगस्त, 2022	
अनुशासन प्रबंधन एवं अनुशासनिक कार्रवाई/ कार्यवाही	29 से 31 अगस्त, 2022	

संस्थान समाचार

ग्लोबल एसोसिएशन आफ रिस्क प्रोफेशनल्स (GARP), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त वेबिनार

अपनी सदस्य शिक्षण शृंखला के एक भाग के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) ने जीएआरपी (ग्लोबल एसोसिएशन आफ रिस्क प्रोफेशनल्स), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर हरित वित्तपोषण (Green Finance) और जलवायु परिवर्तन द्वारा उपस्थित की गई चुनौतियों के बढ़ते महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 17 अगस्त, 2022 को एक अत्यंत समसामयिक विषय ग्रीन फाइनैन्स एंड क्लाइमेट रिस्क मिटिगेशन इन इंडिया (भारत में हरित वित्तपोषण और जलवायु जोखिम न्यूनीकरण) पर एक वेबिनार का आयोजन किया। उक्त कार्यक्रम में वक्तागण भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महा प्रबन्धक श्री सुनील टी॰ एस॰ नायर और भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप मुख्य आर्थिक सलाहकार डा. सौम्य कांति घोष ने भारतीय विनियामक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर व्याख्यान दिया तथा जीएआरपी रिस्क इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. मैकसाइन नेल्सन ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में व्याख्यान दिया। इस वेबिनार में सदस्यों की अच्छी-ख़ासी उपस्थिति रही।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) बैंकिंग चाणक्य 2022 प्रश्नमंच नामक दूसरी राष्ट्रीय अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता का आयोजन किया

संस्थान ने दूसरी राष्ट्रीय अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता बैंकिंग चाणक्य 2022 की शुरूआत कर दी है। यह बैंकिंग, वित्त और व्यवसाय से संबंधी अन्य विषयों पर अधिक संकेन्द्रण के साथ एक ऐसी सामान्य प्रश्नमंच प्रतियोगिता है जिसमें कुछेक प्रश्न सामयिकी (भारतीय और उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय), खेल-कूद (क्रीड़ा), संस्कृति, विज्ञान, राजनीति आदि जैसे विषयों पर पूछे जाते हैं। यह प्रतियोगिता बैंकरों को अपनी प्रतिभायें प्रदर्शित करने तथा उनके संस्तरों (horizons) को विस्तारित करने का अवसर प्रदान करती है। प्रारम्भिक चक्र में भाग लेने हेतु पंजीकरण सुविधा 15 अगस्त से 20 अगस्त, 2022 तक उपलब्ध होगी। अधिक विवरण के लिए कृपया वेबसाइट https://www.bankingchanakya.com देखें।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी - संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

घटनाओं से सामंजस्य बनाए रखने तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मुख्य पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक मूल्य-योजन सुनिश्चित करने के लिए जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के पाठ्यक्रमों को अधिक संकल्पनात्मक एवं सम-सामयिक बनाए रखने के लिए उन्हें पुनरसंरचित कर दिया गया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (National Institute of Securities Markets) और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) के सहयोग से 11 फरवरी, 2022 को प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रौद्योगिकीय विधि से शुरूआत की। यह पाठ्यक्रम अनूठा एवं बैंकिंग,

वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में आजीविका अपनाने की इच्छा रखने के आकांक्षियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपने ढंग की एक विशिष्ट पहलकदमी है। यह 9 महीनों की अवधि में पूरा किए जाने वाला 187 घंटों का एक ई-शिक्षण कार्यक्रम है। उदघाटन भाषण संबन्धित संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा दिये गए तथा विशेष व्याख्यान भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक श्री सुनील मेहता और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी द्वारा दिये गए। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालयों और बैंकरों की अच्छी-ख़ासी संख्या में उपस्थिति रही।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के जुलाई-सितंबर, 2022 तिमाही के लिए आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: “Fintech challenges for Banking Industry.”

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने - आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

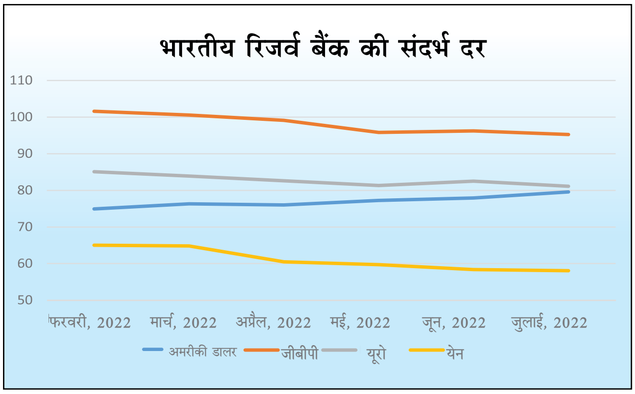

स्रोत: एफबीआईएल

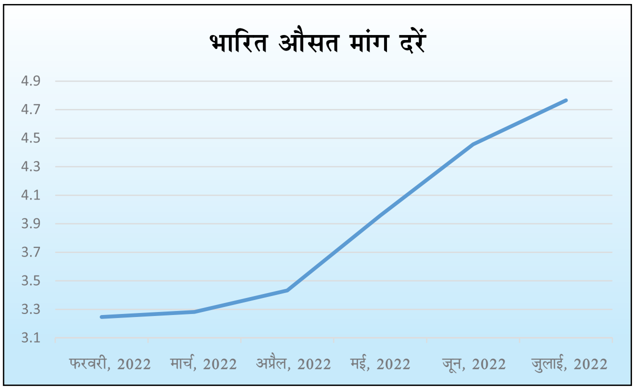

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

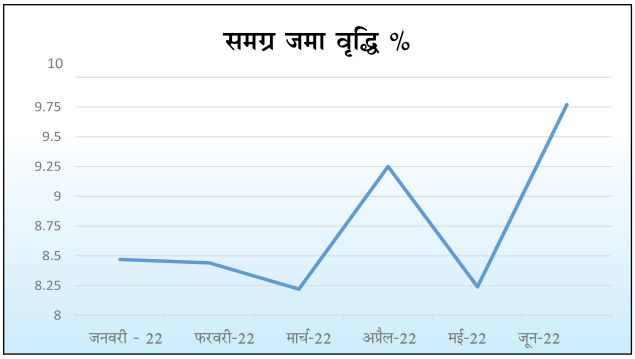

स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2022

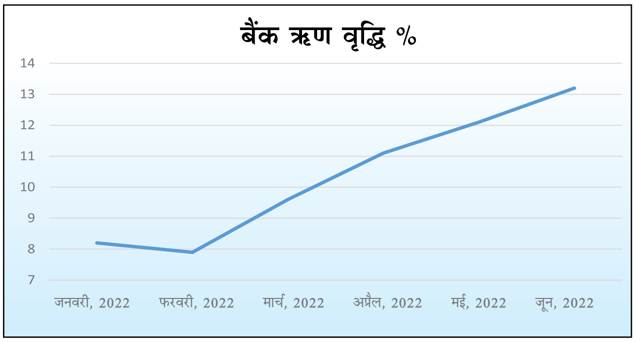

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

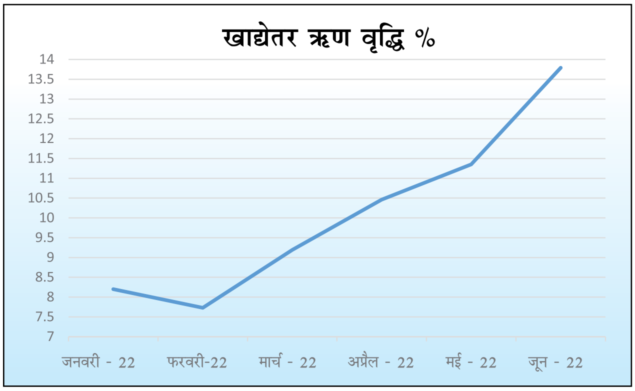

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2022

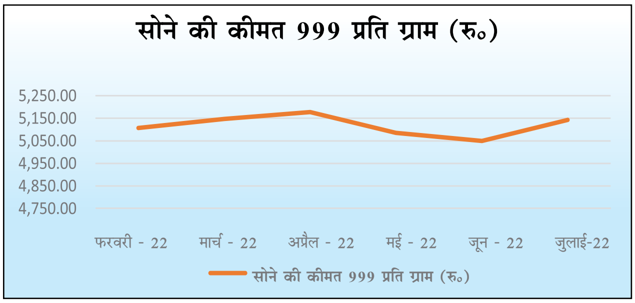

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

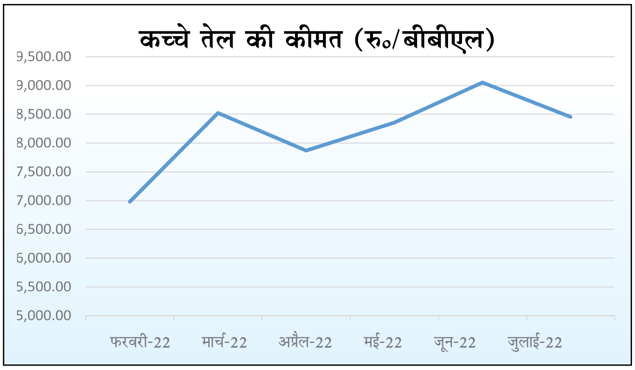

स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

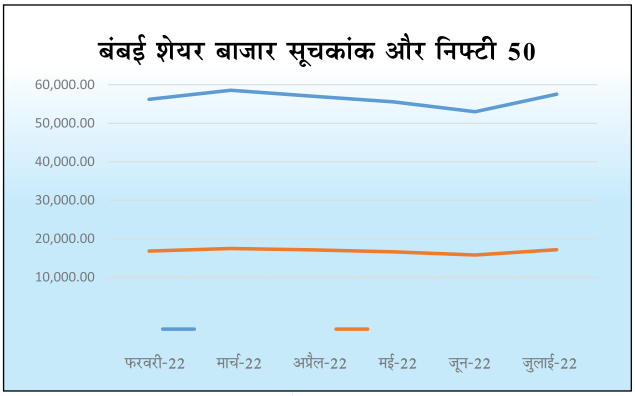

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE)

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in